भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 556

दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: नीली क्रांति स्कीम

556. श्री एम॰के॰ राघवनः

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नीली क्रांति योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना और समुद्री मात्स्यिकी का विकास, अवसंरचना और उत्पाद-उपरांत आपरेशन के अंतर्गत परिकल्पित अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन तीन योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं तथा जारी की गई निधि का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) "नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास तथा प्रबंधन" का क्रियान्वयन मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित घटकों के साथ किया जा रहा है:

i) अन्तःस्थलीय मत्स्यपालन एवं जलकृषि का विकास
ii) समुद्री मात्स्यिकी, ढांचागत एवं पोस्ट हारर्वेस्ट कार्यों का विकास
iii) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना
iv) मात्स्यिकी सेक्टर के डाटा-संचय (डेटाबेस) एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
v) मानिटरिंग, नियंत्रण एवं निगरानी (एम.सी.एस.) तथा अन्य आवश्यकता आधारित अन्र्तक्षेपण
vi) मात्स्यिकी सैक्टर हेतु संस्थागत प्रबंध
vii) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) और उसकी गतिविधियां

(ख) (i) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना तथा (ii) समुद्री मात्स्यिकी का विकास, पोस्ट हार्वेस्ट-इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्यों के अंतर्गत परिकल्पित अवसरों का विवरण 'परिशिष्ट-I' में दिया गया है।

(ग) समुद्री मात्स्यिकी, ढांचागत एवं पोस्ट हारर्वेस्ट कार्यों का विकास तथा राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना सी.एस.एस. "नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास तथा प्रबंधन" के भी घटक हैं। उपरवर्णित घटकों सहित सी.एस.एस. के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान जारी की गई राशि और अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार विवरण 'परिशिष्ट-II' में दिया गया है।

*****

'परिशिष्ट- I'

नीली क्रांति योजना संबंधी लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.556, जिसका 25 जून, 2019 को उत्तर दिया जाना है, के उत्तर भाग (ख) में संदर्भित विवरण

(i) राष्ट्रीय मछुवारा कल्याण योजना तथा (ii) समुद्री मात्स्यिकी, अवसरंचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट कार्यों के अधीन निम्नलिखित अवसर संभावित हैः

I. राष्ट्रीय मछुवारा कल्याण योजना

(क) बचत-व-राहत (देशीय तथा समुद्री मछारों, दोनों के लिए)
(ख) मछुवारों के लिए आवास
(ग) मछुवारों के लिए अन्य मूल सुविधाएं यथा पीने के पानी की सुविधा
(घ) सफाई,जलापूर्ति तथा बिजली की सुविधाओं सहित सामुदायिक हाल का निर्माण
(ङ) सक्रिय मछुवारों के लिए ग्रुप दुर्घटना बीमा
(च) फिसकोपफीड को सहायता अनुदान

II. समुद्री मत्स्यपालन का विकास

(क) परंम्परागत क्राफ्टों का मोटरीकरण
(ख) समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा
(ग) जाल सहित एफआरपी बोट/लकड़ी की बोट तथा मछली और आइस रखने के बक्से खरीदना
(घ) मछुवारों के लिए हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर छूट
(ङ) जलयान निगरानी प्रणाली (वीएमएस) की स्थापना तथा प्रचालन
(च) पर्यावरण हितैषी मत्स्यन पद्धतियों के लिए गैर परम्परागत ऊर्जा (एनसीई) को प्रोत्साहन
(छ) खुला समुद्र केज कल्चर, सीवीड कल्टीवेशन् बाइवाल्व कल्चर तथा समुद्र एवं मीठे पानी में पर्ल कल्चर प्रोत्साहन
(ज) समुद्री मत्स्यपालन प्रबंधन

III. संरचना विकास तथा पोस्ट हार्वेस्ट आप्रेशन

(क) फिसिंग हारबर तथा मछली उत्तराई केंद्र स्थापित करना
(ख) फिसिंग हरबरों/मछली उतराई केंद्रों की ड्रेजिंग के लिए सहायता

IV. पोस्ट हार्वेस्ट संरचना का सशक्तिकरण

(क) पोस्ट हार्वेस्ट संरचना यथा आइस प्लांटों, कोल्ड स्टोरों, आइस प्लांट-एवं-कोल्ड स्टोरों का विकास
(ख) विद्दमान आइस प्लांटों, कोल्ड स्टोरों तथा आइस प्लांट-एवं-कोल्ड स्टोरों का नवीकरण/आधुनिकीकरण
(ग) रिटेल फिश मार्केटों तथा संबद्ध संरचना विकास
(घ) मोबाइल/रिटेल फिश आऊटलेट स्थापित करना
(ङ) फिश परिवहन संरचना यथा रेफरिजरेटर ट्रक, इन्स्यूलेटिड ट्रक तथा आइस बोक्स सहित आटोरिक्शा/मोटर साइकिल/बाइसाइकिल के लिए सहायता

*****

'परिशिष्ट- II'

नीली क्रांति योजना संबंधी लोकसभा अतांराकित प्रश्न सं.556, जिसका 25 जून, 2019 को उत्तर दिया जाना है, के उत्तर भाग (ग) में संदर्भित विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		अनुमोदित परियोजना	जारी निधि	अनुमोदित परियोजना	जारी निधि	अनुमोदित परियोजना	जारी निधि
1	अंडमान और निकोबार	206.25	54.00	457.75	179.89	526.12	129.09
2	आंध्र प्रदेश	2793.66	1897.00	4034.34	2162.88	3479.41	1302.31
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	338.91	222.90	1037.84	374.68
4	असम	2051.81	1641.45	1867.71	799.66	1486.52	524.14
5	बिहार	3876.79	1948.04	15.00	2.25	27955.24	4078.69
6	छत्तीसगढ़	2796.60	1346.69	4415.07	1091.92	5570.37	1045.69
7	दमन और दीव	0.00	0.00	629.69	226.69	0.00	0.00
8	दिल्ली	0.00	0.00	340.14	136.29	0.00	0.00
9	गोवा	1800.01	1000.00	1060.10	265.24	253.13	63.82
10	गुजरात	833.00	332.77	16961.24	1527.43	10800.00	1420.80
11	हरियाणा	2239.30	1122.05	3526.55	779.36	4410.30	605.90
12	हिमाचल प्रदेश	1345.59	1082.32	1236.94	572.26	3257.16	1046.13
13	जम्मू और कश्मीर	1413.98	1111.18	809.60	404.69	922.97	439.54
14	झारखंड	4600.40	2300.20	500.00	75.00	2057.99	925.40
15	कर्नाटक	2726.50	2870.54	23053.72	3324.31	33028.90	5847.28
16	केरल	2540.80	1298.10	3271.60	812.34	2696.54	5093.01
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	133.20	53.57	133.20	60.30
18	मध्य प्रदेश	2900.00	1400.00	2584.50	672.02	3812.44	711.39
19	महाराष्ट्र	11008.86	2051.53	24902.75	2256.81	18107.63	2861.17
20	मणिपुर	0.00	0.00	1039.10	456.15	1686.60	382.13
21	मेघालय	1212.02	1003.17	256.93	139.60	9441.40	2598.94
22	मिजोरम	1199.37	1376.77	485.47	261.39	922.14	403.75
23	नागालैंड	1025.00	965.84	0.00	219.40	711.34	194.66
24	ओडिशा	6032.40	2593.59	3531.50	1077.68	13805.45	1022.13
25	पुडुचेरी	449.90	999.95	0.00	150.00	2710.04	1448.00
26	पंजाब	1953.00	999.00	1565.06	465.36	1002.04	581.34
27	राजस्थान	1030.10	262.10	324.83	83.28	291.93	70.20
28	सिक्किम	598.95	379.16	0.00	0.00	1138.43	416.52
29	तमिलनाडु	13375.00	2492.50	515.00	11342.80	11386.14	7155.91
30	तेलंगाना	2930.00	1465.00	1960.53	479.78	13865.40	1574.80
31	त्रिपुरा	1085.00	867.88	808.29	341.92	2005.09	2004.18
32	उत्तराखंड	1273.75	954.95	1456.70	746.56	1463.15	471.08
33	उत्तर प्रदेश	4786.00	1760.85	7665.67	238.14	5871.86	3050.60
34	पश्चिम बंगाल	1897.50	774.38	1554.36	649.32	365.40	185.40

*****